सत्यमेव जयते

बिहार विधान–सभा

पंचदश बिहार विधान–सभा के प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम एवं दशम सत्र के अतारांकित कुल 75 (पचहत्तर) प्रश्नोत्तर

क्रमांक	माननीय सदस्यों के नाम	सांकेतिक चिह्न	पृष्ठ
1	2	3	4
	प्रथम सत्र		
1	डॉ0 अच्युतानन्द	ट–3	1
	द्वितीय सत्र		
1	श्री अरूण शंकर प्रसाद	रा–11	1
2	डॉ0 अच्युतानन्द	खा–6	1–2
3	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	पुन–4	2
4	श्री नौशाद आलम	द–19	2–3
5	श्री प्रदीप कुमार	द–20	3
	चतुर्थ सत्र		
1	श्री अवधेश कुमार राय	र–1	3–4
2	श्रीमती वीणा भारती	टन–2	4
3	श्री पवन कुमार जायसवाल	खा–1	4–5
4	श्री राजेश्वर राज	द–12	5
5	श्री विनोद कुमार सिंह	द–4	5–6
	पंचम सत्र		
1	श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन	पुन–11	6
2	श्री अब्दुल गफूर	टन–9	6–7
3	डॉ0 अच्युतानन्द	म–3	7

1	2	3	4
	पंचम सत्र		
4	श्री अरूण कुमार सिन्हा	टन–8, ज–20	8
5	श्री अरूण शंकर प्रसाद	फ–18	8–9
6	श्रीमती आशा देवी	फ–15	9–10
7	श्री अवनीश कुमार सिंह	रा–25	10
8	श्री अवधेश कुमार राय	रा–23	10
9	श्रीमती बीमा भारती	पुन–10	11
10	श्री दुलालचन्द्र गोस्वामी	रे–2, पुन–9	11–12
11	श्रीमती गुड्डी देवी	ग्राम–2, रा–15	12
12	श्रीमती ज्योति देवी	ए–43, ट–29	13
13	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	पुन–8	13–14
14	श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार	पुन–6	14
15	श्री कौशल यादव	टन–5	14
16	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	पुन–4, ट–12	15
17	श्री मंजीत कुमार सिंह	ट–6	15–16
18	श्रीमती मुन्नी देवी	ट–3, ई–01	16–17
19	श्री नौशाद आलम	पुन–15, पुन–14, ट–20, ट–2, ट–1	17–19
20	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह	पुन–7	19
21	श्री प्रदीप कुमार	ए–2, टन–1	19–20
22	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	टन–8	20–21
23	श्री राम सेवक हजारी	रा–28, गृह–1, ट–15, ट–14	21–22
24	श्री राज कुमार राय	पुन–1	23
25	श्री राजेश्वर राज	टन–4, ट–8	23–24
26	श्री रणधीर कुमार सोनी	फ–34	24
27	श्री रमेश ऋषिदेव	ट–13	24
28	श्री रामायण मांझी	ट–11, ट–10	24–25
29	श्री राजन सिंह टाईगर	न–4	25
30	श्रीमती सुनीता सिंह	पुन–3, प–1	26
31	श्री श्रवण कुमार	प–2	26
32	श्री शिवेश कुमार	ट–9	27
33	श्री संजय कुमार	ट–4	27
34	श्री विनय कुमार सिंह	रे–3	27–28
	षष्ठम सत्र		
1	श्री रमेश ऋषिदेव	टन–1	28
	सप्तम सत्र		
1	डॉ० अच्युतानन्द	ने–2	28
2	श्रीमती गुलजार देवी	पुन–1	28–29

1	2	3	4
3	श्री नौशाद आलम	ब–1	29
	अष्टम सत्र		
1	डॉ0 अच्युतानन्द	पुस्त–6, द–40	29–30
2	डॉ0 अब्दुल गफूर	ब–3	30
3	श्री रामदेव महतो	द–11	31
4	श्री राजेश्वर राज	ब–6	31
5	श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार	द–53	31–32
6	श्रीमती उषा सिन्हा	पुस्त–5	32
7	श्री विक्रम कुँवर	ब–10	32
	दशम सत्र		
1	श्री सुरेश कुमार शर्मा	ब–1	32

कृषि उत्पादनों को विकसित करना

ट–3. **डॉ0 अच्युतानन्द**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006–07 में देश की योजना आयोग की पटल पर एशी इकोनोमिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट द्वारा बिहार की कृषि उत्पादन क्षमता एवं सम्भावित विकास पर सर्वेक्षण कराया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त इन्स्टीच्यूट द्वारा कराये गये सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार की मिट्टी को सब्जियों के लिये देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र की पंजाब एवं हरियाणा से भी बेहतर बताया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रतिवेदन में बिहार की सब्जियों, फल–फूल एवं अन्य कृषि उत्पादों को विकसित कर इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के योग्य बनाने की आवश्यकता बताई गई है ;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस दिशा में कौन–से प्रयास करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) अस्वीकारात्मक है ।

(4) उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट है ।

वासगीत पर्चा निर्गत करना

घ–11. **श्री अरुण शंकर प्रसाद**—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के बासोपट्टी अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा वर्ष 2003–04 में (1) श्री लक्ष्मी साहनी (2) नजमा खातून (3) तबीब अंसारी (4) जुबेदा खातून के नाम चार वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है, जिसका अंचल कार्यालय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि अंचल कार्यालय में उपलब्ध वर्ष 2003–04 के वासगीत पर्चा पंजी के आधार पर सूचित करना है कि वर्ष 2003–04 में लक्ष्मी साहनी, नजमा खातून, तबीब अंसारी एवं जुबैदा खातून के नाम से वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया गया है ।

दोषी पर कार्रवाई

ख–8. **डॉ0 अच्युतानन्द**—दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 19 दिसम्बर, 2010 के अंक में छपी शीर्षक "सड़ा अनाज देख भड़के मंत्री" के आलोक में क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 18 दिसम्बर, 2010 को फुलवारीशरीफ स्थित एफ0सी0आई0 के गोदाम में छापेमारी के दौरान भारी अनियमितता पायी गयी और सड़े अनाजों को फिर से बोरा में बंद कर गरीबों को बांटने का मामला सामने आया ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में सड़ा हुआ अनाज पाया गया था, किसी राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं लिया गया था। फलतः उक्त सड़े हुये अनाज को गरीबों के बीच बांटने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(2) भारतीय खाद्य निगम, फुलवारीशरीफ स्थित डीपो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है । माननीय मंत्री महोदय द्वारा औचक निरीक्षण के उपरांत पाई गई अनियमितता की सूचना भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय वरीय पदाधिकारी एवं माननीय मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भारत सरकार को पूरी स्थिति से अवगत कराया गया ।

राशि का भुगतान

पु०-4. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मदारीचक, कमालपुर, लक्ष्मीपुर और बैद्यनाथपुर गाँव के कटावपीड़ितों के पुनर्वास के लिये आपदा प्रबंधन से भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के पत्र सं० 484, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 द्वारा बीस करोड़ पचहत्तर लाख उनतालीस हजार सात सौ सतासी रु० की अधियाचना की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्र सं० 04/आ०प्र०, दिनांक 4 जनवरी, 2010 द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्र को अग्रसारित किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार भू-अर्जन के याचित राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) स्वीकारात्मक है।

(3) कंडिका (2) एवं (3) में वर्णित पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 463, दिनांक 22 फरवरी, 2010 द्वारा सम्सूचित किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 1292/रा०, दिनांक 5 जून, 2007 के आलोक में जिला समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त को क्रमशः 50.00 लाख रु० एवं 1.50 करोड़ रु० तक प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति प्राप्त है। साथ-ही-साथ यह भी निदेश दिया गया है कि विभागीय संकल्प सं० 2156/रा०पु०, दिनांक 16 अगस्त, 2003 में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० की संख्या का उल्लेख करते हुये अलग-अलग पुनर्वास योजना के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाये एवं गणना विवरणी के साथ वांछित आवंटन की माँग की जाये। तदनुसार जिला पदा०, कटिहार के पत्रांक 1022 एवं 1023/आ०प्र०, दिनांक 8 नवम्बर, 2012 के द्वारा अभिलेख सं० 01 एवं 02/12-13 आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की अनुशंसा के साथ आवंटन के लिये विभाग को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त अभिलेख पुनः अपने पत्रांक 3862, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 के द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस कर दिया गया है, जिसे जिला पदा०, कटिहार के पत्रांक 49/आ०प्र०, दिनांक 21 जनवरी, 2013 द्वारा अनुमंडल/अंचल पदाधिकारी, मनिहारी को भेजी जा चुकी है, उनके द्वारा त्रुटिरहित करने की कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई करना

द-19. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि दिनांक 12 फरवरी, 2011 को किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लाखों रुपये की दवाई जलाई गयी एवं दूसरे दिनांक 13 फरवरी, 2011 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से दो किलोमीटर दूर मेंच नदी में माणिकपुर के पास अन्य दवाओं के साथ जली हुई दवाएँ फेंक दी गईं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जले दवाईयों में कुछ ऐसी दवाएँ भी थी, जिसकी एक्सपायरी वर्ष 2012 में होनी थी एवं इन दवाओं को जलाने के लिये विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मामले की जाँचकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज में निम्नलिखित तिथिबाह्य दवा जलाया गया—

1. Nischy Pregnance Kit. – 140
2. Mebendazole Tab. – 300
3. Ranitidine – 50 vial

जहाँ मेंच नदी में दवा फेंका गया है जिसकी नाम एवं मात्रा निम्न प्रकार है—

1. IFA Tab. – 30-40 strips
2. Mala N Tab. – 20 strips

3. Condom — 10 pieces
4. Ors- 50-60 pieces
5. Vit Cover — 02 ।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 1791, किशनगंज, दिनांक 23 जुलाई, 2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चेंग नदी में फेंका गया दवा की आपूर्ति जिला भंडार या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज से नहीं किया गया है ।

(2) जले दवा में एक्सपायरी वर्ष 2012 में होने वाली कोई दवा नहीं थी । तिथिवाद दवा के निष्पादन हेतु जिला कमिटी गठन कर किया जाता है । लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज में जिन तिथिवाद दवाओं को जलाया गया उसके लिये जिला कमिटी का गठन नहीं किया गया ।

(3) तत्कालीन दोषी भंडारपाल श्री रवि रोशन पाण्डेय, को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक 513, दिनांक 26 फरवरी, 2012 द्वारा निलंबित किया गया था एवं दोषी भंडारपाल पर विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

कार्रवाई करना

द–20. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल के कहलगाँव में मे0अरूण मेडिकल हॉल, कहलगाँव, मे0 जीवनदीप मेडिको, कहलगाँव (हॉस्पीटल रोड कहलगाँव) मे0 शंकर मेडिकल हॉल, कहलगाँव एवं वर्ष 2011 में मे0 लक्ष्मी मेडिकल हॉल, हाट रोड, गैन चौक, कहलगाँव एवं मे0 वर्णवाल मेडिकल हॉल, शेरमारी हाट, पीरपैंती का निरीक्षण औषधि निरीक्षक के द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निरीक्षण करने वाले औषधि निरीक्षक उपरोक्त क्षेत्र के औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत उक्त औषधि निरीक्षक सरकार के द्वारा नहीं किया गया था ;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से निरीक्षण करने वाले औषधि निरीक्षक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, तो क्या कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि श्रीमती किरण कुमारी, औषधि निरीक्षक, कहलगाँव अनुमंडल, भागलपुर का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0 1218 (15) दिनांक 30 जून, 2009 द्वारा समस्तीपुर हो जाने के फलस्वरूप सिविल सर्जन, भागलपुर के ज्ञापांक 3070, दिनांक 27 जुलाई, 2009 के आलोक में श्रीमती किरण कुमारी द्वारा श्री उदय वल्लभ, औषधि निरीक्षक, सदर अनुमंडल, भागलपुर को दिनांक 27 जुलाई, 2009 को प्रभार दिया गया जिसके कारण श्री उदय वल्लभ द्वारा कहलगाँव अनुमंडल के औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया है जिसके लिये वे सक्षम पदाधिकारी थे और इसमें श्री उदय वल्लभ द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में निहित वस्तुस्थिति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

पदस्थापन करना

द–1. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघरा अनुमंडल में एक भी दंडाधिकारी पदस्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दंडाधिकारी के अभाव में न्यायिक प्रक्रिया ठप हो जाने से आम लोगों को भयंकर संकट झेलना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शीघ्र दंडाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो अबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघरा अनुमंडल में कार्यपालक दंडाधिकारी का दो पद स्वीकृत है । सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 3138, दिनांक 7 अप्रील, 2010 द्वारा तेघरा अनुमंडल अन्तर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी का एक पद ग्रामीण विकास विभाग को एवं एक पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवंटित है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 622 वादों का निष्पादन किया गया है ।

(3) कार्यपालक दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाये, के संबंध में नीतिगत मामला सरकार के विचाराधीन है । निर्णयोपरांत पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

पर्यटक स्थल बनाना

टन–2. श्रीमती बीमा भारती—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बी0 कोठी प्रखंड में बाबा बरूनेश्वर स्थान बहुत पुराना स्थल है, जिसके नाम से 6 गार्मिक न्यास बोर्ड में 51 एकड़ 86 डी0 जमीन है लेकिन इसे आजतक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पर्यटन विभाग, बिहार के विभिन्न पर्यटक स्थलों के चहुमुखी विकास हेतु पर्यटन सर्किट का निरूपण कर इनके विकास हेतु कटिबद्ध है । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाबा बरूनेश्वर स्थान के लिये सांसद कोष से 2008–09 में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है । एक धर्मशाला है जिसमें 10/10 का रूम है । शौचालय की संख्या 7 एवं जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है तथा पानी पीने की सुविधा है । सम्प्रति प्रश्नगत स्थल के विकास के लिये पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

धान क्रय केन्द्र खोलना

खा–1. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में क्रमशः वर्ष 2009 एवं 2010 तक एफ0सी0 आई0 द्वारा धान क्रय केन्द्र संचालित होता था, परन्तु उसके बाद क्रय केन्द्र बंद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में धान क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक अगर नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम 2009–10 में पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में तथा खरीफ विपणन मौसम 2010–11 में पूर्वी चम्पारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड में भारतीय खाद्य निगम का क्रय केन्द्र संचालित था ।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त राज्य अभिकरण यथा पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम का क्रय केन्द्र खोला गया । इस मौसम में राज्य सरकार के विशेष व्यवस्था के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु मुख्य रूप से पैक्स के माध्यम से धान का क्रय किया गया है तथा प्रत्येक प्रखंड में बिहार राज्य खाद्य निगम का भी क्रय केन्द्र खोला गया ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो । ढाका प्रखंड में पैक्स का 24 तथा बिहार राज्य खाद्य निगम का 1 क्रय केन्द्र खोला गया जिसके द्वारा कुल 4,453 मे0 टन धान का क्रय किया गया । घोड़ासहन प्रखंड में पैक्स का 14 तथा बिहार राज्य खाद्य निगम का 1 क्रय केन्द्र खोला गया जिसके द्वारा कुल 3,498 मे0 टन धान का क्रय किया गया ।

इस मौसम में भारतीय खाद्य निगम मुख्य रूप से राज्य अभिकरणों द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान की मिलिंग के पश्चात् सी0एम0आर0 को प्राप्त करना था ।

3. Condom – 10 pieces
4. Ors- 50-60 pieces
5. Vit Cover – 02 ।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 1791, किशनगंज, दिनांक 23 जुलाई, 2011 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि चेंग नदी में फेंका गया दवा की आपूर्ति जिला भंडार या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज से नहीं किया गया है ।

(2) जले दवा में एक्सपायरी वर्ष 2012 में होने वाली कोई दवा नहीं थी । तिथिवाद दवा के निष्पादन हेतु जिला कमिटी गठन कर किया जाता है । लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठाकुरगंज में जिन तिथिवाद दवाओं को जलाया गया उसके लिये जिला कमिटी का गठन नहीं किया गया ।

(3) तत्कालीन दोषी भंडारपाल श्री रवि रोशन पाण्डेय, को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक 513, दिनांक 26 फरवरी, 2012 द्वारा निलंबित किया गया था एवं दोषी भंडारपाल पर विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

कार्रवाई करना

द–20. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2009 में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव अनुमंडल के कहलगाँव में मे0अरूण मेडिकल हॉल, कहलगाँव, मे0 जीवनदीप मेडिको, कहलगाँव (हॉस्पीटल रोड कहलगाँव) मे0 शंकर मेडिकल हॉल, कहलगाँव एवं वर्ष 2011 में मे0 लक्ष्मी मेडिकल हॉल, हाट रोड, गैन चौक, कहलगाँव एवं मे0 वर्णवाल मेडिकल हॉल, शैरमारी हाट, पीरपैंती का निरीक्षण औषधि निरीक्षक के द्वारा किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निरीक्षण करने वाले औषधि निरीक्षक उपरोक्त क्षेत्र के औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत उक्त औषधि निरीक्षक सरकार के द्वारा नहीं किया गया था ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से निरीक्षण करने वाले औषधि निरीक्षक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, तो क्या कार्रवाई करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि श्रीमती किरण कुमारी, औषधि निरीक्षक, कहलगाँव अनुमंडल, भागलपुर का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0 1218 (15) दिनांक 30 जून, 2009 द्वारा समस्तीपुर हो जाने के फलस्वरूप विधिवत सर्जन, भागलपुर के ज्ञापांक 3078, दिनांक 27 जुलाई, 2009 के आलोक में श्रीमती किरण कुमारी द्वारा श्री उदय वल्लभ, औषधि निरीक्षक, सदर अनुमंडल, भागलपुर को दिनांक 27 जुलाई, 2009 को प्रभार दिया गया जिसके कारण श्री उदय वल्लभ द्वारा कहलगाँव अनुमंडल के औषधि प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया है जिसके लिये वे सक्षम पदाधिकारी थे और इसमें श्री उदय वल्लभ द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में निहित वस्तुस्थिति के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

पदस्थापन करना

र–1. श्री अवधेश कुमार राय—क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के तेघरा अनुमंडल में एक भी दंडाधिकारी पदस्थापित नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दंडाधिकारी के अभाव में न्यायिक प्रक्रिया ठप हो जाने से आम लोगों को भयंकर संकट झेलना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार शीघ्र दंडाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत तेघरा अनुमंडल में कार्यपालक दण्डाधिकारी का दो पद स्वीकृत है । सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 3138, दिनांक 7 अप्रील, 2010 द्वारा तेघरा अनुमंडल अन्तर्गत कार्यपालक दंडाधिकारी का एक पद ग्रामीण विकास विभाग को एवं एक पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवंटित है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कुल 622 वादों का निष्पादन किया गया है ।

(3) कार्यपालक दंडाधिकारी के प.. पर पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अथवा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाये, के संबंध में नीतिगत मामला सरकार के विचाराधीन है । निर्णयोपरांत पदस्थापन की कारंवाई की जायेगी ।

पर्यटक स्थल बनाना

टन–2. श्रीमती बीमा भारती—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत बी० कोठी प्रखंड में बाबा वरूनेश्वर स्थान बहुत पुराना स्थल है, जिसके नाम से ध ार्मिक न्यास बोर्ड में 51 एकड़ 86 डी० जमीन है लेकिन इसे आजतक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पर्यटन विभाग, बिहार के विभिन्न पर्यटक स्थलों के बहुमुखी विकास हेतु पर्यटन सर्किट का निरूपण कर इनके विकास हेतु कटिबद्ध है । जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वार प्रतिवेदित किया गया है कि बाबा वरूनेश्वर स्थान के लिये सांसद कोष से 2008–09 में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है । एक धर्मशाला है जिसमें 10 / 10 का रूम है । शौचालय की संख्या 7 एवं जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है तथा पानी पीने की सुविधा है । सम्प्रति प्रश्नगत स्थल के विकास के लिये पर्यटन विभाग के अन्तर्गत कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

धान क्रय केन्द्र खोलना

खा–1. श्री पवन कुमार जायसवाल—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका एवं घोड़ास... ..खंड में क्रमशः वर्ष 2009 एवं 2010 तक एफ०सी० आई० द्वारा धान क्रय केन्द्र संचालित होता था, परन्तु उसके बाद क्रय केन्द्र बंद कर दिया गया है, जिसके कारण किसानों को काफी कठिनाई हो रही है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में धान क्रय केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक अगर नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । खरीफ विपणन मौसम 2009–10 में पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में तथा खरीफ विपणन मौसम 2010–11 में पूर्वी चम्पारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड में भारतीय खाद्य निगम का क्रय केन्द्र संचालित था ।

खरीफ विपणन मौसम 2011–12 अन्तर्गत राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त राज्य अभिकरण यथा पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम का क्रय केन्द्र खोला गया । इस मौसम में राज्य सरकार के विशेष व्यवस्था के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु मुख्य रूप से पैक्स के माध्यम से धान का क्रय किया गया है तथा प्रत्येक प्रखंड में बिहार राज्य खाद्य निगम का भी क्रय केन्द्र खोला गया ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो । ढाका प्रखंड में पैक्स का 24 तथा बिहार राज्य खाद्य निगम का 1 क्रय केन्द्र खोला गया जिसके द्वारा कुल 4,453 मे० टन धान का क्रय किया गया । घोड़ासहन प्रखंड में पैक्स का 14 तथा बिहार राज्य खाद्य निगम का 1 क्रय केन्द्र खोला गया जिसके द्वारा कुल 3,498 मे० टन धान का क्रय किया गया ।

इस मौसम में भारतीय खाद्य निगम मुख्य रूप से राज्य अभिकरणों द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान की मिलिंग के पश्चात् सी०एम०आर० को प्राप्त करना था ।

(2) उपर्युक्त खंड के उत्तर के आलोक में डाका एवं घोड़ासहन प्रखंड में पैक्स एवं बिहार राज्य खाद्य निगम का क्रय केन्द्र खोला गया है ।

परिषद् का पुनर्गठन

द–12. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना का प्रत्येक तीन सालों पर पुनर्गठन करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिषद् का कार्यकाल मार्च, 2010 में ही समाप्त हो गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त परिषद् का पुनर्गठन नहीं किये जाने से कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त परिषद् का पुनर्गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । दिनांक 7 जून, 2009 को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना का कार्यकाल पूरा हो चुका है ।

(3) सम्प्रति महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन विशेष परिस्थिति में बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना के पदेन सदस्यों की बैठक के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है ।

(4) बोर्ड का गठन प्रक्रियाधीन है । परिषद् के गठन हेतु सदस्यों का मनोनयन किया जा चुका है एवं अन्य पदेन एवं मनोनीत सदस्यों के साथ बोर्ड का गठन का प्रारूप निर्गत होने की प्रक्रिया में है ।

दवा की आपूर्ति

द–4. श्री विनोद कुमार सिंह—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के आयुर्वेदिक यूनानी एवं होमियोपैथिक अस्पताल में सरकार द्वारा दवाओं का आपूर्ति नहीं की जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 60 प्रतिशत जनता आयुष चिकित्सक से अपना इलाज कराते हैं, पर दवा की आपूर्ति नहीं होने से सूबे के गरीब जनता को काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एलोपैथिक अस्पताल के तरह आयुष अस्पतालों में भी सरकारी दवा आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ खरीद करने के लिये राशि का उपबंध एवं आवंटन दिया गया है । सम्बन्धित औषधालयों को निम्नांकित राशि दवा मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में आवंटित किया गया है यथा जिला संयुक्त औषधालयों के लिये दवा मद में 20.00 लाख औषध निर्माणशाला को 15.00 लाख, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना 20.00 लाख आयुर्वेदिक औषधालयों को 30.00 लाख, होमियोपैथिक औषधालयों को 20.00 लाख, यूनानी औषधालयों को 15.00 लाख आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय को 5.00 लाख, आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना को 10.00 लाख, आयुर्वेदिक कॉलेज, बक्सर को 4.00 लाख, आयुर्वेदिक कॉलेज, दरभंगा को 4.00 लाख, आयुर्वेदिक कॉलेज, भागलपुर को 2.00 लाख, होमियोपैथिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर को 5.00 लाख एवं तिब्बी कॉलेज, पटना को 20.00 लाख रु० आवंटित किया गया है । इससे स्पष्ट है कि गरीब जनता के लिये सरकार द्वारा पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया है एवं पर्याप्त सुविधायें दी जा रही है ।

(3) और अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये दवा मद में अगले वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजटकाल में दवा मद में अधिक राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

कृषक की स्थिति सुधारना

प्रश्न–11. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 2008 में कोसी नदी में आयी भीषण बाढ़ से सर्वाधिक पीड़ित होने वाली पंचायतों में सुपौल जिले के लक्ष्मिनियाँ पंचायत भी है, जहाँ बाढ़ के दौरान सात फीट पानी बह रहा था, जिससे खेतों में बालू भर जाने से कृषि कार्य, स्वास्थ्य शिक्षा व रोजगार के अवसर बुरी तरह प्रभावित है ;

(2) यदि हाँ, तो उक्त पंचायत के कृषकों की स्थिति सुधारने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वर्ष 2008 में कोसी नदी में आयी भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों/कृषकों के बीच सदवार निम्न रूप से अनुदान का वितरण किया गया:—

क्र0	मद	पंचायत/हल्का	प्रभावितों की संख्या	वितरित राशि
1	2	3	4	5
1	गृह क्षति	लक्ष्मिनियाँ	2,719	1,24,94000.00 (एक करोड़ चौबीस लाख चौरानवे हजार)
2	भूमि क्षति	लक्ष्मिनियाँ हल्का सं0 3	1,185	98,76,390.00 (अनठानवे लाख छिहत्तर हजार तीन सौ नब्बे)
3	फसल क्षति	लक्ष्मिनियाँ हल्का सं0 3	2,151	54,07,216.00 (चौसठ लाख सात हजार दो सौ सोलह)

उपरोक्त राशि कृषकों की स्थिति सुधारने के लिये दी गयी है ।

राशि नहीं वितरण का औचित्य

प्रश्न–9. श्री अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में सहरसा स्थित मत्स्यगंधा झील हेतु स्थानीय किसान की जमीन पर्यटन विभाग ने अर्जित की थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि अर्जित भू–खण्ड के स्वामी दर्जनों किसान के मुआवजा मद में जिला प्रशासन को तीस लाख रुपये उपलब्ध कराया गया था, जो जिला प्रशासन के पास पड़ा हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त अंशों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपलब्ध राशि अबतक नहीं वितरण करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—(1) जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 279–1, दिनांक 6 मई, 2012 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मत्स्यगंधा के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्तावित 22.92 एकड़ अर्जनाधीन भूमि में से 9.21 एकड़ भूमि का अर्जन तीन राजस्व मौजा में किया गया है जिसमें किसानों के मुआवजे के रूप में मो0 47,51,339.00 रुपये का भुगतान किया जाना था । अबतक मो0 42,54,402.50 रुपये रैयतों को मुआवजा मद में भुगतान किया जा चुका है । शेष राशि का भुगतान रैयतों द्वारा कागजी सबूत नहीं दाखिल करने के कारण लंबित है ।

अर्जित भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, सहरसा को मो0 46,26,63,200 रुपये विमुक्त किया गया । जिसके विरुद्ध अर्जित भूमि का कुल मुआवजा मो0 47,51,339.00 रुपये में से 42,54,402.50 रुपये का वितरण किया जा चुका है । शेष मौजा हासा हकपड़ा में 13.41 एकड़ भूमि के अर्जन के लिए मो0 1,10,07,894.00 (एक करोड़ दस लाख सात हजार छः सौ चौरानवे रुपये) जिला पदाधिकारी, सहरसा को उपलब्ध करा दिया गया है । भू–अर्जन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की गई है ।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

प्र–3. डॉ0 अच्युतानन्द—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010–11 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय 20,069 रुपये की जबकि दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 1,35,814 रुपये थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम होने से राज्य की जनता का विकास बाधित है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कौन–से उपाय करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) यह अंशतः स्वीकारात्मक है । तथ्यगत स्थिति यह है कि बिहार एवं दिल्ली राज्यों से संबंधित प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान वर्ष 2010–11 में निम्न प्रकार है :—

राज्य	प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति नि0रा0घ0उ0 का अनुमान (रुपये में)।	स्थिर (2004–05) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति नि0रा0घ0उ0 का अनुमान (रुपये में)।
बिहार	20,708	13,632
दिल्ली	1,50,653	1,06,676

(2) अस्वीकारात्मक । प्रति व्यक्ति स्थिर (2004–05) मूल्यों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान का वृद्धि दर (%) वर्ष 2009–10 की तुलना में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रकार है :—

राज्य का नाम	वृद्धि दर (%)	राज्य का नाम	वृद्धि दर (%)
आन्ध्र प्रदेश	8.92	जम्मू और कश्मीर	4.79
अरूणाचल प्रदेश	6.06	कर्नाटक	1.69
असम	6.01	केरल	8.04
बिहार	13.49	मध्य प्रदेश	6.10
झारखंड	5.27	छत्तीसगढ़	9.99
गोवा	6.15	महाराष्ट्र	9.17
गुजरात	8.65	मणिपुर	4.20
हरियाणा	7.90	मेघालय	8.11
हिमाचल प्रदेश	8.78	तमिलनाडु	11.21
मिजोरम	6.61	त्रिपुरा	8.41
नागालैंड	2.25	उत्तर प्रदेश	5.95
उड़ीसा	5.90	उत्तराखंड	5.75
पंजाब	4.74	पश्चिम बंगाल	6.21
राजस्थान	9.39	दिल्ली	8.62
सिक्किम	7.85		

उपर्युक्त आंकड़ों से स्वतः स्पष्ट है कि बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय अनुमान का वृद्धि दर अन्य राज्यों की अपेक्षा वर्ष 2010–11 में सर्वाधिक है ।

(3) उपर्युक्त के आलोक में आवश्यक नहीं ।

भवन का निर्माण

प्र–6. श्री अरूण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना के गोलघर के सौन्दर्यीकरण के तहत 1.38 करोड़ की लागत से गोलघर पार्क पिछले एक साल से निर्माणाधीन है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पार्क के निर्माण में गोलघर के एक छोर पर बंद पड़े बाल भवन एवं पुलिस चौकी से बाधा उत्पन्न हो रही है, यदि हाँ, तो इन बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना के पत्रांक 1026, दिनांक 25 अगस्त, 2012 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोलघर के सौन्दर्यीकरण का कार्य एकरारनामा के अनुसार पूर्ण है । द्वितीय चरण के कार्य से संबंधित प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति के साथ पर्यटन विभागीय पत्रांक 2612, दिनांक 4 सितम्बर, 2012 द्वारा भवन निर्माण विभाग से मांग की गयी है ।

(2) गोलघर के परिसर से पुलिस चौकी को हटाया जा चुका है एवं बाल भवन को परिसर से हटाने की कार्रवाई की जा रही है ।

रैन बसेरों का जीर्णोद्धार

ज–20. श्री अरुण कुमार सिन्हा—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया एवं आरा में क्रमशः 17,9,6 एवं 2 रैन बसेरा है, जिसमें से एक में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित रैन बसेरे अनुरक्षण के अभाव में अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित रैन बसेरों का जीर्णोद्धार करते हुये इसमें शौचालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना शहर में 19 रैन बसेरा स्थित है, जिसमें से 15 में शौचालय की व्यवस्था है तथा 4 रैन बसेरा के नजदीक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है । मुजफ्फरपुर शहर में स्थित 9 रैन बसेरा में से 7 में शौचालय की व्यवस्था है तथा 2 रैन बसेरा में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था थोड़ी दूरी पर है । गया शहर में स्थित 6 रैन बसेरा में से 4 में शौचालय की व्यवस्था है तथा 2 रैन बसेरा के नजदीक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है । आरा शहर में स्थित 2 रैन बसेरा में से 1 में शौचालय की व्यवस्था है तथा 1 रैन बसेरा के नजदीक सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है ।

(2) उक्त वर्णित रैन बसेरे के अनुरक्षण के लिये नगर निकायों को निदेश दिये गये हैं जहाँ से निरंतर सुधार की कार्रवाई भी हो रही है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । योजनाबद्ध तरीके से सभी शहरों में स्थायी रैन बसेरा के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी है । फिलहाल प्रत्येक कमिश्नरी शहरों में एक स्थायी रैन बसेरा बनाने का निदेश दे दिया गया है, जिसमें सभी बुनियादी सुविधायें एक साथ एवं एक स्थान पर ही रहेंगी ।

रिक्त पदों पर बहाली

ग–18. श्री अरुण शंकर प्रसाद—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में कनीय अभियंता से लेकर प्रमुख अभियंता तक का कुल स्वीकृत पद जनवरी, 2012 तक 353 में से 172 ही कार्यरत है तथा 181 पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अभियंता के पद रिक्त रहने के कारण विभागीय कार्य समय पर नहीं हो पाता है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रही है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उपरोक्त रिक्त पदों पर अभियंताओं की बहाली करने का विचार रखती है हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कनीय अभियंता से लेकर अभियंता प्रमुख के कुल 1,151 स्वीकृत पद हैं, जिसमें 700 पदों के विरुद्ध अभियंतागण कार्यरत हैं। 451 पद रिक्त हैं जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है—

पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद		रिक्त पद
		नियमित	संविदा पर	
कनीय अभि० (असैनिक) स्थायी	536	284	118	134
कनीय अभि० (असैनिक अस्थायी)	107			107
कनीय अभि० (यां०) स्थायी	103	54	33	16
कुल	746	338	151	257
सहा० अभि० (असै०)	237	91		146
सहा० अभि० (यां०)	36	06		30
कार्य० अभि० (असै०)	79	77		02
कार्य० अभि० (यां०)	12	10		02
अधी० अभि० (असै०)	29	20		09
अधी० अभि० (यां०)	04	01		03
मुख्य अभि० (असै०)	07	05		02
मुख्य० अभि० (यां०)	01	01		0
कुल	1,151	549	151	451

(2) यद्यपि अभियंताओं के पद रिक्त हैं, फिर भी विभाग में उपलब्ध बल से योजनाबद्ध तरीके से विभागीय कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं।

(3) कनीय अभियंता के रिक्त पदों के विरुद्ध अधियाचना जल संसाधन विभाग को भेजी गयी है तथा सहायक अभियंता के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना पथ निर्माण विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। विभिन्न कोटि पर प्रोन्नति हेतु रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है।

पेयजल की आपूर्ति

क-15. श्रीमती आशा देवी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत जीरादेई विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत जीरादेई, नौतन, मैरवा प्रखंडों में पेयजल की भारी समस्या है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में पेयजल आपूर्ति की कौन-सा विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जीरादेई प्रखंड अंतर्गत जीरादेई पाइप जलापूर्ति योजना (25,000 गैलन क्षमता का जलमीनार सहित) नौतन प्रखंड अंतर्गत [illegible] पाइप जलापूर्ति योजना (40,000 गैलन क्षमता का जलमीनार सहित) एवं मैरवा प्रखंड अंतर्गत मैरवा पाइप जलापूर्ति योजना (1,10,000 गैलन क्षमता का जलमीनार सहित) चालू है एवं जलापूर्ति की जा रही है।

उपर्युक्त जलापूर्ति योजनाओं के अलावा नौतन प्रखंड में 1,281, मैरवा में [illegible] एवं जीरादेई में [illegible] कुल 1,792 अदद हस्तचालित नलकूपों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है।

(2) उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

दोषी पर कार्रवाई

रा–25. **श्री अवनीश कुमार सिंह**––क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका–बेलवा–घाट सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1987–88 में ग्राम–देवापुर के किसानों से जमीन अधिग्रहित करके कराई गई थी परन्तु आजतक ग्राम देवापुर के किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार किसानों को उनका बकाया मुआवजा देने तथा विलम्ब के लिये दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––उत्तर स्वीकारात्मक है। समाहर्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदनानुसार पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत ढाका–बेलवाघाट पथ के निर्माण के लिये वर्ष 1987–88 में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, ढाका के अधियाचना पर 19.08 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है ।

अधियाची विभाग से निरन्तर राशि की माग की जा रही है राशि अबतक अप्राप्त है । जिला कार्यालय के पत्रांक 45, दिनांक 7 फरवरी, 2012 द्वारा पुनः स्मारित किया गया है एवं विभाग स्तर से भी प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को पत्रांक 750, दिनांक 28 मार्च, 2012 द्वारा आवंटन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

राशि प्राप्त होते ही हित संबद्ध रैयतों को मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा ।

पुनर्वासित करना

रा–23. **श्री अवधेश कुमार राय**––क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा प्रखण्ड के मोहम्मदपुर फत्ता एवं चकाठी पंचायत के गंगा कटाव पीड़ित वर्ष 1974–75 से एन0एच0 28 के बगल के गड्ढे में आवास बनाकर निवास कर रहे हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1989–90 में ही उक्त कटाव पीड़ित को पुनर्वासित करने हेतु अभिलेख सं0 II/89–90 निष्पादन हेतु आपदा प्रबंधन विभाग में लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पंचायतों के सभी परिवारों को पुनर्वासित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) एवं (2) वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बछवाड़ा अंचल के मौजा–मोहम्मदपुर फत्ता के कटावपीड़ितों के पुनर्वास हेतु आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 643, दिनांक 4 मार्च, 2011 द्वारा मो0 95,61,934.00 (पंचानवे लाख एकसठ हजार नौ सौ चौंतीस) रु0 की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आवंटन देने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

विभागीय पत्रांक 1675, दिनांक 30 मई, 2012 द्वारा कुल 49 परिवारों के लिये 2.30 एकड़ रैयती भूमि अर्जित करने हेतु कुल प्राक्कलित राशि 95,61,934 रु0 की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

(3) उपर्युक्त के अनुसार ।

कटाव से बचाव

पुन–10. **श्रीमती बीमा भारती**––क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के रुपौली प्रखण्ड अन्तर्गत सिंगपुर दियारा पंचायत के गेंदुहा गाँव का नदी के कटाव से आधा भाग कट चुका है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गेंदुहा गाँव की आबादी 2,000 है, जिसमें मध्य विद्यालय, गेंदुहा ही एक

वर्षों से प्रत्येक वर्ष कट रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गेहुंआ गाँव को कटाव से बचाने हेतु कौन–सी सुरक्षात्मक कार्य कराने का विचार रखती है; नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । वहाँपर केवल कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है । विद्यालय का कटाव नहीं हुआ है ।

(3) स्थल पर केवल कृषि योग्य भूमि का कटाव हो रहा है । कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा कटाव निरोधात्मक कार्य किया जा रहा है ।

न्यायिक कार्य का निष्पादन

र–2. **श्री दुलालचन्द गोस्वामी**—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल में जनता से संबंधित 2,000 कानूनी मामला वर्षों से लंबित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि न्याय हेतु उक्त अनुमंडल के जनता को 70 कि0मी0 की दूरी तयकर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो अभीतक उक्त अनुमंडल मुख्यालय में न्यायिक निष्पादन की व्यवस्था नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है। राज्य में किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है । इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्राथमिकता सूची निर्धारित की गयी है जिसमें कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई अनुमंडल में न्यायालय स्थापना का मामला 'क्रम सं0 43' पर है ।

क्रमानुसार आधारभूत संरचना पूर्ण किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से ही बारसोई अनुमंडल में न्यायालय स्थापना का निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

राशि का भुगतान

पुन–9. **श्री दुलालचन्द गोस्वामी**—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2010–11 में हरेन्द्र शर्मा, पिता गोविन्द शर्मा, ग्राम–कल्याण गाँव, दिनांक 7 मई, 2010 माणिकचन्द्र दास, पे0 प्रहलाद दास, ग्राम–सोहागढा, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 एवं प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बेलता डी0आर0सी0 भवन के निकट एवं सुजीत कुमार यादव, पे0 लल्टू यादव, ग्राम–कोलहा, पंचायत–शरीफनगर, दिनांक 3 नवम्बर, 2011 को वज्रपात गिरने से मृत्यु हो गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बलरामपुर अंचलाधिकारी द्वारा उक्त तीनों व्यक्तियों का वज्रपात से मृत्यु होने की पुष्टि की गई है, परन्तु आजतक मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मृतक के आश्रितों को मुआवजा की राशि का भुगतान करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि तीनों मृतकों में से दो मृतक क्रमशः स्व0 सुजीत यादव एवं स्व0 हरेन्द्र शर्मा कटिहार जिला के थे तथा एक मृतक स्व0 मानिक चन्द दास पूर्णियाँ जिला के थे । तीनों मृतकों के आश्रितों को संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अनुग्रह अनुदान की राशि 1–1 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

मंदिर को विकसित करना

धाम–2. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के दमामी मठ के शिव मंदिर पुराना एवं ऐतिहासिक है, जिसमें दूर–दूर से दर्शनार्थी शिवजी के दर्शन के लिये आते हैं एवं प्रतिवर्ष बसंत पंचमी में विशेष मेला का आयोजन किया जाता है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दमामी मठ के शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण स्थल कर विकसित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखण्ड के दमामी मठ के शिव मंदिर के संबंध में बिहार राज्य धार्मिक पर्षद् द्वारा उर्मिला गिरी, बाबा ईसान नाथ महादेव मठ, दमामी, पो०–परतापुर, थाना–बेलसंड, जिला–सीतामढ़ी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दमामी मठ शिव मंदिर की पौराणिकता एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी के संबंध में कोई लिखित साक्ष्य उनके पास नहीं है । साथ ही दमामी मठ में बसंत पंचमी का मेला लगता है परन्तु मेला का डाक बिहार सरकार के अंचल पदाधिकारी, बेलसंड (सीतामढ़ी) द्वारा किया जाता है और उससे प्राप्त राजस्व बिहार सरकार के खाते में जमा किया जाता है ।

(2) न्यासधारी को उक्त शिव मंदिर की समुचित सौन्दर्यीकरण के लिये पर्याप्त आय का साधन नहीं है ।

मुआवजा का भुगतान

श–15. श्रीमती गुड्डी देवी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी नई रेल लाइन निर्माण हेतु वर्ष 2002 में सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के मोरसंड ग्राम के किसान से जमीन ली गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन का भुगतान रेल मंत्रालय द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार को जमीन का भुगतान कर दिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मोरसंड ग्राम के किसानों से ली गई जमीन का मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समाहर्ता, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार ग्राम–मोरसंड के भू–धारी जिनका भूमि अर्जित किया गया है, को मुआवजा का 80 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्ष 2004 में सभी दावाकर्ता किसान को कर दिया गया है । शेष 20 प्रतिशत बकाया राशि के भुगतान के लिये प्राक्कलन की स्वीकृति सरकार के पत्रांक 566, दिनांक 5 मार्च, 2012 द्वारा प्राप्त हो चुकी है । उक्त स्वीकृति के आलोक में भू–अर्जन खतियान एवं एवार्ड तैयार की जा रही है । भू–धारी को शीघ्र मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा ।

(3) प्रश्नोत्तर की कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट है ।

भवन का निर्माण

द–43. श्रीमती ज्योति देवी—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड बाराचट्टी के शिवगंज बाजार में अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव में पिछले 8–9 वर्षों से अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र एक सामुदायिक भवन में चल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अति० स्वास्थ्य केन्द्र ...

निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रश्नगत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक भवन मे चल रहा है ।

(3) जमीन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण की जायेगी ।

भवन का निर्माण

द–29. **श्रीमती ज्योति देवी**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह सही है कि गया जिला प्रखंड मोहनपुर मे ग्राम–डंगरा स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य उप–केन्द्र आजतक भवनविहीन है और किराये के कमरा मे चल रहा है ;

(2) क्या यह सही है कि भवन के अभाव मे पदस्थापित डाक्टर/नर्स अनुपस्थित रहते है, यदि हाँ, तो उक्त कमियों को दूर करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जमीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण प्रश्नगत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उप–केन्द, डंगरा किराये के मकान मे चल रहा है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे डाक्टर/नर्स के द्वारा नियमित रूप से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा एवं टीकाकरण कार्य कराया जाता है ।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

पुन–8. श्री कृष्ण कुमार ऋषि—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बनमनखी थाना के रतन शर्मा एवं उनकी 8 वर्षीया पुत्री की दिनाक 14 जुलाई, 2007 को वज्रपात के कारण अपने घर मे मृत्यु हो गयी है, जिसका थाना कांड सं० 2/2007 जो दिनांक 14 जुलाई, 2007 को दर्ज की गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ ने अपने स्तर से दो–दो बार जाँचोपरांत संचिका ए०डी०एम०, आपदा को वर्ष 2008–09 मे भेजी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वज्रपात के कारण रतन शर्मा एवं उनकी पुत्री की मृत्यु का मुआवजा नहीं देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि वज्रपात केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी मे नहीं रखा गया है । केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, भूकंप, अग्निकांड इत्यादि के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने का प्रावधान है, न कि मुआवजा ।

(2) राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प संख्या 2203, दिनांक 11 जुलाई, 2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरांत घटित वज्रपात की घटनाओं मे मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिये निर्धारित मानदर के अनुसार राज्य कोष से अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया है ।

(3) उपरोक्त परिस्थिति मे वर्ष 2007–08 वित्तीय वर्ष मे वज्रपात से मृत व्यक्तियों के मामले मे अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

मुआवजा देना

पुन–9. श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत परबत्ता प्रखण्ड के ग्राम पंचायत राज उत्तरी के ग्राम–दुधेला मे 22 अक्टूबर, 2008 को नौका दुर्घटना मे 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मृतकों के आश्रितों को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि 50,000 रु० का भुगतान अबतक नहीं हुआ है एवं जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा घोषणा के बावजूद भी इन्दिरा आवास का वितरण मृतकों के आश्रितों को अबतक नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कबतक मृतकों के आश्रितों को इन्दिरा आवास सहित मुआवजा का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि उक्त मृतकों के आश्रितों को 1,00,000 (एक लाख) रु० की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जा चुका है । ऐसे मामलों में इन्दिरा आवास देने का प्रावधान नहीं है ।

(3) उपरोक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

विश्रामालय रोप–वे का निर्माण

टन–5. **श्री कौशल यादव**—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड स्थित ककोलत जलप्रपात एक पर्यटक स्थल है, जहाँ देश–विदेश से सैकड़ों पर्यटक प्रतिदिन आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पर्यटक स्थल पर पर्यटकों को ठहरने एवं जलप्रपात तक जाने के लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ककोलत जलप्रपात का सौन्दर्यीकरण करते हुये विश्रामालय एवं रोप–वे का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक ।

(2) पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ककोलत जलप्रपात के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु प्रयत्नशील एवं तत्पर है । उक्त परिपेक्ष्य में 597.41 लाख का एक वृहद् डी०पी०आर० बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण, कैफेटेरिया ब्लाक का निर्माण, पहुँच पथ एवं सीढ़ियों का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, जन–सुविधाओं का विकास, पार्किंग, वर्तमान गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, प्रकाश व्यवस्था, गार्ड रूम, टिकट काउन्टर आदि बनाया जाना है ।

597.41 लाख की उपर्युक्त योजना विभागीय पत्रांक 296, दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है ।

तदनुसार पर्यटन विभाग के राज्य निधि से 2008–09 में ही 39.83 लाख की एक योजना जो सीढ़ियों के चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित है, स्वीकृत किया गया है तथा राशि जिला पदाधिकारी, नवादा को कार्यान्वियन हेतु विमुक्त की गयी है । परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 4.85 एकड़ वन भूमि पर अनापत्ति एवं इतने ही गैर–वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है ।

बाढ़पीड़ितों को राहत देना

पुन–८. **श्री मनोहर प्रसाद सिंह**—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद प्रखण्ड के गदाय दियारा–वार्ड संख्या 10 में 30 सितम्बर, 2011 को बाढ़ राहत सामग्री वितरण में मात्र 806 बाढ़पीड़ित परिवारों में से केवल 171 परिवारों को ही राहत सामग्री मिली ;

(2) यदि हाँ, तो क्या सरकार शेष बाढ़पीड़ितों को राहत देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि अमदाबाद प्रखंड के गदाई दियारा, वार्ड संख्या 10 में बाढ़ प्रभावित कुल 650 परिवारों को राहत वितरण–सह–अनुश्रवण समिति की अनुमोदित सूची के आधार पर नगद अनुदान एवं खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई है ।

(2) उपरोक्त के आलोक में अब राहत हेतु परिवार शेष नहीं है ।

बहाली करना

ट–12. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा विज्ञापन संख्या 01/2006 एवं 02/2006 में दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को बैकलॉग नियुक्त सहायक प्राध्यापक श्री शिव कुमार चौधरी एवं श्री राजीव कुमार सबीर को नेट न होने के कारण पाँच वर्षों के सेवा उपरांत सेवामुक्त कर दिया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार नियुक्ति संकल्प ज्ञाप 3/एस 2–155/70–3617, दिनांक 24 फरवरी, 1971 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की योग्यता को शिथिल करने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सेवामुक्त प्राध्यापकों को बहाल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) सही है ।

(2) यह शिथिलता सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में नेट से संदर्भित नहीं है ।

(3) जैसाकि ऊपर के प्रश्न खंडों के उत्तर से स्पष्ट है यह नियमानुकूल नहीं है ।

पदाधिकारी पर कार्रवाई

ट–6. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार भू–जल सिंचाई योजना सेक्टर से उबारने के लिये वर्ष 2012 में 4.64 लाख पम्पसेट दिये जाने का लक्ष्य था, जिससे बिहार के 9.28 लाख हे0 जमीनों पर नये सिरे से सिंचाई हो सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में 4.64 लाख पम्प सेट में मात्र 57 हजार लोगों को ही बैंकों द्वारा पम्पसेट हेतु कर्ज दी गई ;

(3) क्या यह बात सही है कि यूनियन बैंक, यूनाईटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, विजया बैंक, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बिकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओरिण्टल बैंक, पंजाब एवं सिंध कोरपरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा के द्वारा भू–जल सिंचाई योजना के तहत पम्प सेट खरीदने हेतु किसानों को कर्ज नहीं दी गई ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2009 में बिहार भू–जल सिंचाई योजना के तहत पूरे राज्य में 4.64 लाख अदद् निजी नलकूप/सिंचाई कूप के निर्माणार्थ योजना तैयार की गयी थी, जिससे राज्य में कुल 9.28 लाख हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी । इस योजना के अन्तर्गत 3–5 अश्व शक्ति के डीजल/विद्युत् चालित पम्प सेट का भी प्रावधान है ।

योजना का कार्यारम्भ माह नवम्बर, 2009 से एम0एस0टी0पी0 के अवशेष बची अनुदान की कुल राशि रु0 231.67 करोड़ से योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली से सहमति प्राप्त कर की गयी। इस राशि से राज्य में मात्र 1,01,936 अदद् निजी बोरिंग ही लगाये जाने का प्रावधान है जिसे मार्च, 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य रहा है । इसके कार्यान्वयन पूर्ण होने पर 2.04 लाख हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो पायेगी ।

(2) 31 मार्च, 2012 तक के लिए निर्धारित लक्ष्य 1,01,936 अदद् निजी बोरिंग/सिंचाई कूप निर्माण के विरुद्ध कुल 1,02,409 अदद् आवेदन विभिन्न जिलों में बैंकों को प्राप्त हुए हैं । 31 मार्च, 2012 तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध 72,868 अदद् स्वीकृत हुए हैं एवं इन स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध 61451 अदद् के विरुद्ध राशि वितरित कर योजना का कार्यान्वयन हो चुका है ।

(3) प्रश्नगत बैंकों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 तक उपलब्ध कराये गये ऋण की स्थिति निम्नवत् है—

क्र0	बैंक	स्वीकृति	वितरित
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	802	664
2	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	1,218	1,060
3	सिंडिकेट बैंक	217	186
4	विजया बैंक	0	0
5	आन्ध्रा बैंक	0	0
6	बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर स्टेट बैंक	0	0

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

ट–3. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव के पत्रांक 889, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 निर्गत है कि माननीय सदस्यों के लिखे पत्र की प्राप्ति सूचना 15 दिनों के भीतर एवं कृतकार्रवाई से एक माह के अन्दर अवगत कराया जाना है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 331/11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 स्मारित पत्रांक 381/12, दिनांक 3 फरवरी, 2012 से जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर तथा पत्रांक 203/11, दिनांक 5 अगस्त, 2011, स्मारित पत्रांक 282/2011, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 एवं स्मारित पत्रांक 366/12, दिनांक 20 जनवरी, 2012 द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी, बिहिया से वांछित सूचना माँगी गयी है जो अभीतक लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार समय पर सूचना उपलब्ध न कराने वाले उक्त पदाधिकारियों पर कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । माननीय स0वि0स0 द्वारा निर्गत पत्रांक 331/11, दिनांक 23 फरवरी, 2011 द्वारा पूछे गये कंडिकावार प्रश्नों का उत्तर तैयार कर जिला कृषि कार्यालय के पत्रांक 216, दिनांक 9 फरवरी, 2012 द्वारा माननीय स0वि0स0 को भेजा गया है ।

(3) माननीय स0वि0स0 को वांछित सूचनाएँ पूर्व में ही उपलब्ध कराया जा चुका है । अतः किसी तरह की कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

पदाधिकारी पर कार्रवाई

ई–1. श्रीमती मुन्नी देवी—क्या मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव का पत्रांक 889, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 निर्गत है कि माननीय सदस्यों के लिखे पत्र की प्राप्ति सूचना 15 दिनों के अन्दर तथा कृतकार्रवाई से एक माह के अन्दर सूचित करने का आदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 175/11, दिनांक 11 जुलाई, 2011, पत्रांक 183/11, दिनांक 12 जुलाई, 2011 तथा पत्रांक 275/11, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, भोजपुर को पत्र लिखा गया है परन्तु प्रश्नकर्ता द्वारा पत्रांक 262/11, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 तथा पत्रांक 343/12, दिनांक 10 जनवरी, 2012 से स्मारित कराने के बावजूद कृतकार्रवाई एवं पत्र प्राप्ति तक सूचना आजतक नहीं दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कृतकार्रवाई से अवगत न कराने वाले उक्त पदाधिकारी पर सरकार कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि माननीया सं0वि0स0 को कार्यपालक अभियंता, आरा के पत्रांक 1536 अनु0, दिनांक 20 दिसम्बर, 2010 से डाक द्वारा वांछित सूचनाएँ भेजी जा चुकी है ।

नाव उपलब्ध कराना

पुन–15. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक प्रखण्ड बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ के दिनों में उक्त प्रखण्डों से होकर गुजरने वाली नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है एवं आमजनों का आवागमन बाधित हो जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त दोनों प्रखण्डों के नदी घाटों के लिये बीस–बीस नाव उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज एवं दिघलबैंक प्रखंड की नदियों के संग्रहण क्षेत्र में वर्षा होने के कारण जल स्तर में वृद्धि हो जाती है और नदियों के किनारों से पानी का फैलाव होता है परन्तु 8–48 घंटे में पानी की निकासी हो जाती है ।

(2) पानी का फैलाव होने के दौरान कुछ समय तक आवागमन में समस्याएँ होती है ।

(3) आवागमन बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार नावों की व्यवस्था की जाती है ।

गाड़ी उपलब्ध कराना

पुन–14. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला बाढ़ प्रभावित जिला है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बाढ़ की स्थिति में आपदा स्थल पर पहुंचने के लिये आपदा प्रबंधन विभाग किशनगंज के कर्मियों को गाड़ी के लिये घंटों प्रतीक्षा करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार आपदा से त्वरित निपटने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, किशनगंज को गाड़ी उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है । किशनगंज जिला बाढ़ प्रवण जिला है ।

(2) अस्वीकारात्मक है ।

(3) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किशनगंज जिले को गाड़ी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

भवन का निर्माण

प्र–20. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड में उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 12 एवं अतिरिक्त प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 8 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि केवल 14 (चौदह) उप–स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही अपना भवन है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रखंड के सभी अतिरिक्त प्रा० स्वा० केन्द्रों एवं उप–स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । यह सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज में उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की सं० 47 (जिसमें 20 नवसृजित) एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की संख्या 8 (जिसमें 7 नवसृजित) है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है । यह सही है कि केवल 14 (चौदह) पुराने उप–स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एक पुराने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ही अपना भवन है ।

(3) जमीन उपलब्ध होने पर सरकार प्रश्नगत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

अनुसंधान केन्द्र बनाना

ट–2. **श्री नौशाद आलम**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में कुल पाँच कृषि फार्म है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला के किसी भी फार्म में अबतक कृषि से संबंधित कोई भी अनुसंधान का (प्रयोगशाला) कार्य नहीं होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला के ठाकुरगंज स्थित कृषि फार्म में अनुसंधान केन्द्र बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक । किशनगंज जिला में कृषि विभाग के कुल पाँच बीज गुणन प्रक्षेत्र है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । चार बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 1,630 कि० कच्चा बीज का उत्पादन किया गया है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । ठाकुरगंज में बीज गुणन प्रक्षेत्र है, जिसमें उन्नत बीज प्रभेद का बीज उत्पादन किया जा रहा है । यहाँ कोई अनुसंधान केन्द्र प्रस्तावित नहीं है ।

जाँच केन्द्र खोलना

ट–1. **श्री नौशाद आलम**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला में एक भी मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला में मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं रहने के कारण यहाँ हजारों किसानों को मिट्टी जाँच कराने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ठाकुरगंज प्रखंड सहित जिला के सभी प्रखंडों में मिट्टी जाँच केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अंशतः स्वीकारात्मक । किशनगंज जिला मुख्यालय में मिट्टी जाँच–सह–बीज परीक्षण प्रयोगशाला भवन निर्मित है । इस प्रयोगशाला को कार्यरत करने हेतु इसमें कर्मियों के पदस्थापन के लिये सरकार सचेष्ट है ।

(2) अंशतः स्वीकारात्मक । मिट्टी जाँच की सुविधा किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिट्टी जाँच–सह–बीज परीक्षण प्रयोगशाला, किशनगंज निर्मित कराई गई है ।

वर्तमान में जिला के किसानों से संग्रहित मिट्टी नमूनों की जाँच पूर्णियाँ जिला के मिट्टी जाँच प्रयोगशाला से कराई जाती है ।

20–25 अप्रैल, 2011 तक विशेष अभियान चलाकर राज्य के प्रत्येक राजस्व गाँव से 5–5 मिट्टी नमूने संग्रहित एवं विश्लेषित किये गये हैं । इनके आधार पर पंचायत स्तर तक उर्वरता निर्धारण कर किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग की सलाह जारी की जायेगी ।

इस अभियान अंतर्गत किशनगंज जिला के विभिन्न प्रखंडों के लक्ष्य 3,865 नमूनों के विरुद्ध 3,810 नमूनों का संग्रहण कर इनकी रूटीन जाँच मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, पूर्णियाँ द्वारा कराई गई है । सूक्ष्म पोषक तत्व के 630 नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध 630 नमूने संग्रहित एवं 440 नमूने विश्लेषित किये गये हैं । शेष नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है तथा किसानों को तत्संबंधी सलाह जारी किये जायेंगे ।

(ञ) प्रश्नगत ठाकुरगंज प्रखंड सहित जिला के सभी 7 प्रखंडों में ई0 किसान भवन का निर्माण स्वीकृत है । ठाकुरगंज एवं किशनगंज प्रखंड में ई0 किसान भवन कार्य पूर्णता की ओर है जबकि बहादुरगंज एवं टेढ़ागाछी प्रखंड में फिनिशिंग कार्य जारी है । कोचाधामन, पोठिया तथा दिघल बैंक प्रखंडों में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की गई है । इन ई0 किसान भवनों में मिट्टी जाँच की सुविधा पी0 पी0 पी0 मोड में उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

योजना का लाभ

प्रश्न–7. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह––क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला अन्तर्गत खोदो अकहा–कुरहा प्रखण्ड में 19 दिसम्बर, 2011 को विक्कु यादव पे0 छानो यादव सहित 3 परिवार वार्ड नं0 13 पंचायत अकबरपुर बरारी एवं दिनांक 23 अप्रील, 2011 को राहुल कुमार पासवान सहित 2 परिवार पंचायत अकहा–कुरहा के घर में अचानक आग लग गई परन्तु सूचना के बाद भी अंचलाधिकारी द्वारा राहत एवं इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री––आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को श्री छानो यादव पे0 डीलन यादव व इनके दो पुत्रों विक्कु यादव और कांग्रेस यादव, सा0 वार्ड नं0 13, पंचायत अकबरपुर, बरारी के भूसा घर में आग लगी थी । राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मान दर के अनुसार इस प्रकार के मामले में साहाय्य अनुदान देय नहीं है ।

दिनांक 23 अप्रील, 2011 को मात्र श्री राजकुमार पासवान, अकहा–कुरहा के घर में अग्निकांड हुआ था । दिनांक 23 अप्रील, 2011 को हुये अग्निकांड पीड़ित श्री राजकुमार पासवान, पिता छट्टू पासवान, सा0 अकहा–कुरहा को नगद अनुदान 2,250 (दो हजार दो सौ पचास) रु0 तथा 50 (पचास) किलो चावल एवं 50 (पचास) किलो गेहूँ दिया गया था । इसके अतिरिक्त इन्हें इन्दिरा आवास भी स्वीकृत कर 35,000 (पैंतीस हजार) रु0 का चेक भी दिया गया।

आवास का निर्माण

द–2. श्री प्रदीप कुमार––क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि––

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीचक में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का आवास एवं घेराबंदी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि आवास एवं घेराबंदी नहीं रहने के कारण 24 घंटे चिकित्सा सुविधा मिलने में काफी अड़चनें होती है ;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काशीचक में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का आवास निर्माण एवं घेराबंदी करवाने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री––(1) उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काशीचक नवसृजित केन्द्र है । चिकित्सकों एवं कर्मियों का आवास एवं घेराबंदी नहीं है । वर्तमान में प्रश्नगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीडी के भवन में संचालित है । आवास के निर्माण एवं घेराबंदी के लिये भवन निर्माण विभाग, नवादा को आवंटन उपलब्ध करा दी गई है । प्राक्कलन उपलब्ध हो गया है, निविदा का प्रकाशन किया गया है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । आपातकालीन रोस्टर के अनुसार 24 घंटे चिकित्सक सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

(3) कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जलप्रपात को विकसित करना

टन–1. श्री प्रदीप कुमार—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत ककोलत जलप्रपात ठण्डे जल के झरना के रूप में प्रख्यात है, जहाँ गर्मी में प्रतिदिन हजारों पर्यटक घूमने आते हैं, यदि हाँ, तो क्या सरकार ककोलत जलप्रपात को विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ककोलत जलप्रपात के विकास एवम् सौन्दर्यीकरण हेतु प्रयत्नशील एवं तत्पर है । उक्त परिप्रेक्ष्य में 597.41 लाख का एक वृहद् डी0पी0आर0 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत पर्यटक सुविधा केन्द्र का निर्माण, कैफेटेरिया ब्लाक का निर्माण, पहुँच पथ एवं सीढ़ियों का चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार, जन–सुविधाओं का विकास, पार्किंग, वर्तमान गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार, प्रकाश व्यवस्था, गार्ड रूम, टिकट काउन्टर आदि बनाया जाना है । 597.41 लाख की उपर्युक्त योजना विभागीय पत्रांक 296, दिनांक 19 फरवरी, 2009 द्वारा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है ।

तद्नुसार पर्यटन विभाग के राज्य निधि से 2008–09 में ही 39.63 लाख की एक योजना जो सीढ़ियों के चौड़ीकरण एवं जीर्णोद्धार से संबंधित है, स्वीकृत किया गया है तथा राशि जिला पदाधिकारी, नवादा को कार्यान्वयन हेतु विमुक्त की गयी है, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 4.85 एकड़ वन भूमि पर अनापत्ति एवं इतने ही गैर–वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग को भेजा गया है जो प्रक्रियाधीन है ।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

टन–8. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखण्ड के मकटोभवानी मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 में कार्यकारी एजेंसी, जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को नियुक्त करते हुये योजना की एकमुश्त स्वीकृत राशि रु0 14 लाख 19 हजार 480 उपलब्ध कराई गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मंदिर के प्रवेश द्वार एवं चहारदीवारी पर 3 लाख 70 हजार 720 रु0 तथा शौचालय, घाट एवं बैंच के निर्माण पर 10 लाख 48 हजार 460 रु0 खर्च कराने के लिये प्राक्कलन में प्रावधान किये गये थे ;

(3) क्या यह बात सही है कि 14 लाख 19 हजार 480 रु0 से अबतक घाट, शौचालय, बैंच एवं प्रवेश द्वार नहीं बनाये गये तथा राशि का उठाव कर गबन कर लिया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गबन करने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक । पर्यटन विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । वास्तुविद् के प्रोजेक्ट के अनुसार प्रवेश द्वार एवं चहारदीवारी का अनुमानित लागत मो0 4,22,620.00 रुपया तथा घाट, शौचालय एवं बैंच निर्माण का अनुमानित लागत मो0 8,22,772.00 रु0 है ।

(3) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्य अभियंता, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, बिहार, पटना से मो0 61,15,000.00 रुपया का प्राक्कलन के विरुद्ध मो0 14,19,480.00 रुपया का

की स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त हुआ । उक्त प्राक्कलन के अनुसार मंदिर प्रांगण में पी०सी०सी० पथ, सोलर लाईट, प्रवेश द्वार (दो अदद) तालाब की खुदाई कार्य, चहारदीवारी, शौचालय, यात्री निवास, दुकान, घाट का निर्माण एवं घेरा का निर्माण कार्य कराया जाना था ।

इस परियोजना हेतु प्राप्त राशि से कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सर्वप्रथम चहारदीवारी का निर्माण 700 फीट औसतन 6 फीट ऊँचा एवं इसके ऊपर 2 फीट ऊँचा ग्रील का कार्य एवं मुख्य द्वार 27.06 फीट लम्बाई में ग्रिलाईट गेट का निर्माण कराया गया है । एक द्वार का निर्माण कार्य शेष है । कराये गये कार्यों की जाँच उप–विकास आयुक्त, गोपालगंज एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा कराया गया है । कराया गया कार्य भौतिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से सही पाया गया ।

(4) उपरोक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

सम्पर्क पथ से जोड़ना

रा–29. श्री राम सेवक हजारी—क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के कुढ़वा पंचायत अन्तर्गत गुलाब टोला सिंघिया दक्षिणवारी दलित टोला सम्पर्क पथ पथविहीन है तथा दलित वर्ग की आबादी 1,300 (तेरह सौ) है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सम्पर्क पथ के अभाव में ग्रामीणों को मुख्य सड़क पर आने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त टोला को सम्पर्क पथ से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) सम्पर्क पथ निर्माण हेतु नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है ।

भवन का निर्माण

सह–1. श्री राम सेवक हजारी—क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के किसानों से धान, गेहूं एवं सागान की खरीदारी पैक्स के माध्यम से किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि कल्याणपुर प्रखंड में पैक्स के माध्यम से खरीदी गई अनाज को रखने हेतु गोदाम नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कल्याणपुर प्रखंड में पैक्स का गोदाम भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि कल्याणपुर प्रखंड में EEC योजना के तहत मात्र एक समिति में गोदाम उपलब्ध है ।

(3) कल्याणपुर प्रखंड के पन्द्रह पैक्स यथा मालीनगर, नामापुर, सिमरिया भिण्डी, बेलसंडी, रतवारा, सोमनाहा, गुप्तापुर, गोसाई, धुरगामा, भिरसरिया, सोरमार, पुरुषोत्तमपुर, कुढ़वा, तीरा एवं मधुरापुर में 200 मे० टन क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु समितियों का चयन किया जा चुका है । कृषि रोड मैप (2012–17) के अंतर्गत उक्त समितियों में वर्ष 2013–14 तक कराने हेतु गठित कमिटी की बैठक दिनांक 25 अप्रील, 2012 के द्वारा इन सभी समितियों का चयन किया जा चुका है ।

प्रयोगशाला खोलना

ट–15. श्री राम सेवक हजारी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं रहने से वहां के कृषकों में काफी कठिनाई होती है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । तत्काल प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच केन्द्र कार्यरत नहीं हो पाया है । प्रखंडस्तरीय मिट्टी जाँच केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है । तदुपरांत मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापना की कार्रवाई होगी। समस्तीपुर में जिलास्तरीय मिट्टी जाँच केन्द्र कार्यरत है जहाँ कृषक अपने खेतों की मिट्टी की जाँच करा सकते हैं । साथ ही प्रत्येक वर्ष अभियान चलाकर प्रत्येक राजस्व गाँव से मिट्टी नमूनों का संग्रह कर फलाफल कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है ।

(2) राज्य सरकार का प्रत्येक प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित करने का निर्णय है । इस हेतु प्रखंडों में ई0 किसान भवन का निर्माण कराया जा रहा है । भवन निर्माण के उपरांत मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

भवन का निर्माण

ट–14. श्री राम सेवक हजारी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोड मैप योजनान्तर्गत सभी प्रखंडों में ई0 किसान भवन निर्माण कराने हेतु वर्ष 2008 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड में अभीतक उक्त भवन का निर्माण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में ई0 किसान भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक। राज्य के सभी प्रखंडों में ई0 किसान भवन की स्थापना कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । ई0 किसान भवन के निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 में 166, वर्ष 2009–10 में 4, वर्ष 2010–11 में 154 ई0 किसान भवन कुल 324 प्रखंडों में ई0 किसान भवन की स्वीकृति दी गयी है । शेष 210 प्रखंडों में ई0 किसान भवन की स्थापना अगले 5 वर्षों में पूरी की जायेगी ।

(2) समस्तीपुर जिला में कुल 20 प्रखंड में से **अबतक 11 प्रखंड** में ई0 किसान भवन की स्थापना के लिये राशि विमुक्त की गयी है । **जिला को विमुक्त राशि से समस्तीपुर**, रोसड़ा, दलसिंहसराय, शाहपुर पटोरी, मोरवा, सरायरंजन, मोहम्मदनगर, **उजियारपुर, खानपुर, हसनपुर एवं बिथान** प्रखंड में ई0 किसान भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है ।

समस्तीपुर जिला के शेष 9 प्रखंड जिनमें कल्याणपुर भी शामिल है, में कृषि रोड मैप के अन्तर्गत ई0किसान भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा ।

(3) उपर्युक्त दोनों खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

मुआवजा देना

पुन–1. श्री राजकुमार राय—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत हसनपुर एवं बिथान प्रखण्ड के करेह नदी के किनारे बसे लोगों को 13 वर्ष पूर्व विस्थापित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी विस्थापितों को मुआवजा, जमीन तथा भवन नहीं दिया गया है, जिससे भटवन, बल्लपुर, सखवा, मिखनौनिया, लरझा, सिरसिया, सलहा एवं चिरौटना गाँव के हजारों लोग बेघर हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक वहाँ के विस्थापितों को मुआवजा एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। इस तरह का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

(2) ऊपर कंडिका (1) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(3) ऊपर वर्णित वस्तुस्थिति में अनुदान एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

दोषियों पर कार्रवाई

टन–4. **श्री राजेश्वर राज**—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मार्गीय सुविधाओं के विकास की योजना वर्ष 2004–05 में शुरू की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक में मार्गीय सुविधाओं के विकास की योजनाओं की स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति के पश्चात् भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई करते हुये योजनाओं को पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक।

1. N.H. - 31 (Transport Nagar) में मार्गीय सुविधा को पूर्ण किया जा चुका है ।

2. जहानाबाद में मार्गीय सुविधा का Structure work पूर्ण हो चुका है । Finishing कार्य प्रगति में है इसे जून, 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

3. हिसुआ में मार्गीय सुविधा का कार्य roof casting तक पूर्ण हो चुका है । इसे अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ।

4. महेशखूंट में मार्गीय सुविधा का sturcture work एवं Cement Plaster पूर्ण हो चुका है । कार्य स्थल काफी गड्ढे में होने के कारण प्राक्कलन से अधिक व्यय की राशि की क्षतिपूर्ति बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा अपने आन्तरिक स्त्रोत से करने संबंधी निर्णय लिया गया है । तदनुरूप अग्रतर कार्रवाई निगम के स्तर से की जा रही है ।

5. मार्गीय सुविधा के तहत जहानाबाद, डोभी एवं हिसुआ में Toilet block का निर्माण कार्य कराया गया है, जो पूर्ण हो चुका है तथा उपयोग में है ।

दोषी पर कार्रवाई

ट–8. **श्री राजेश्वर राज**—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के पूरे राज्य के किसानों को बिस्कोमान द्वारा सरकारी दर 320 रु० प्रति बोरा उपलब्ध कराया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला को क्रमशः विक्रमगंज, काराकाट, संझौली प्रखण्ड अन्तर्गत दुकानदार के विनोद मिश्रा, श्री विनय मुखिया, श्री मनोज मिश्रा एवं बब्लू मिश्रा सहित सभी लाइसेन्सी दुकानदार द्वारा 320 रु० प्रति बोरा यूरिया उपलब्ध कराया जा रहा है ।

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक। रोहतास जिले में बिस्कोमान द्वारा विगत तीन वर्षों से उर्वरक व्यवसाय नहीं किया जा रहा है ।

(2) अस्वीकारात्मक। रोहतास जिला अन्तर्गत विक्रमगंज, काराकाट, संझौली प्रखण्डों में श्री विनोद मिश्रा, श्री विनय मुखिया, श्री मनोज मिश्रा एवं बबलू मिश्रा नामक कोई भी अधिकृत उर्वरक विक्रेता नहीं है।

(3) उपर्युक्त दोनों खण्डों के उत्तर अस्वीकारात्मक हैं।

विद्युत शवदाह गृह का निर्माण

क–34. श्री रणधीर कुमार सोनी—क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला के किसी भी प्रखंड में दाह संस्कार के लिये अभीतक मुक्ति धाम विद्युत (शवदाह गृह) का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे शवदाह संस्कार के समय काफी परेशानी होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जिलों के सभी प्रखंडों में मुक्ति धाम विद्युत (शवदाह गृह) का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिला अंतर्गत बरबीघा नगर पंचायत में एक अदद उन्नत किस्म के 6 बर्निंग प्लेटफार्म के साथ "मुक्ति धाम योजना" के अंतर्गत श्मशान घाट के विकास तथा आधुनिकीकरण का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

विद्युत शवदाह गृह निर्माण की कोई योजना शेखपुरा जिला के प्रखंडों में स्वीकृत नहीं है।

प्रयोगशाला खोलना

ट–13. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के शंकरपुर, गम्हरिया, घैलाढ़ प्रखंडों में मिट्टी जाँच केन्द्र नहीं रहने से वहाँ के कृषकों को मिट्टी जाँच कराने में काफी कठिनाई होती है,

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में मिट्टी जाँच केन्द्र खोलने का विचार रखती है; हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। तत्काल प्रखंड स्तर पर मिट्टी जाँच केन्द्र कार्यरत नहीं हो पाया है। प्रखंडस्तरीय मिट्टी जाँच केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जा रहा है। तदुपरांत मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापना की कार्रवाई होगी। कृषि विज्ञान केन्द्र, मधेपुरा तथा सहरसा में मिट्टी जाँच केन्द्र कार्यरत हैं जहाँ कृषक अपने खेतों की मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। साथ ही प्रत्येक वर्ष अभियान चलाकर प्रत्येक राजस्व गाँव से मिट्टी नमूनों का संग्रह कर फलाफल कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रसंगत शंकरपुर, गम्हरिया, घैलाढ़ प्रखंडों में कार्यपालक अभियंता, जिला परिषद् द्वारा ई0 किसान भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।

(2) राज्य सरकार का प्रत्येक प्रखंड में मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित करने का निर्णय है। इस हेतु प्रखंडों में ई0 किसान भवन का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण के उपरांत मिट्टी जाँच केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

प्रयोगशाला खोलना

ट–11. श्री रामायण माँझी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक कृषि प्रयोगशाला खोलने का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष 2007 में लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान के कृषि फार्मों क्रमशः गुठनी प्रखंड में 40 एकड़, दरौली प्रखंड में 35 एकड़ एवं आन्दर प्रखंड में 35.40 एकड़ जमीन रहते हुये अबतक कृषि प्रयोगशाला नहीं बन सका है ;

(3) उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखंडों में कृषि प्रयोगशाला खोलने

का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) यह बात सही है कि सीवान जिले के कृषि फार्मों क्रमशः गुठनी प्रखंड में 24.32 एकड़, दरौली प्रखंड में 28.04 एकड़ एवं आन्दर प्रखंड में 26.06 एकड़ जमीन है, जिसमें बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है । प्रखंडों के उद्यान नर्सरी में ई0 किसान भवन की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गयी है, जिसमें किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, विश्रामालय, पौधा संरक्षण केन्द्र, सूचना तकनीक एवं विपणन आसूचना केन्द्र, कृषि यंत्र अधिकोष (भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु) एवं प्रशासनिक परिसर (प्रखंड स्तरीय कृषि पदाधिकारी का कार्यालय) बनाने की योजना है । भवन निर्माणाधीन है ।

(3) भवन निर्माण पूर्ण होने पर उपरांत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला स्थापित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

भवन का निर्माण

ट–10. श्री रामायण माँझी—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अंतर्गत गुठनी प्रखंड में किसान भवन का निर्माण 2010 में कराया जा रहा है जो भवन निर्माण कार्य में प्राक्कलन के अनुसार नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस भवन निर्माण कार्य की जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर अस्वीकारात्मक । भवन का निर्माण कार्य प्राक्कलन के अनुसार कराया जा रहा है । कार्यान्वयन एजेंसी प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुठनी द्वारा 50 प्रतिशत राशि खर्च किया गया है । शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान चैक द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुठनी को किया जा चुका है ।

कार्य को पूरा करना

च–4. श्री संजय सिंह 'टाइगर'—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी योजना एवं विकास विभाग की है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुशंसित योजनाओं का मार्च, 2012 तक भी क्रियान्वयन प्रारम्भ नहीं हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2011–12 में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुशंसित योजनाओं का कार्य कबतक पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(3) वर्ष 2011–12 में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अनुशंसित योजनाओं की जिला स्वयं समिति से स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा विस्तार की कार्रवाई जिलों द्वारा की गयी है । वर्ष 2011–12 में इस कार्यक्रम अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को आवंटित कुल 325.00 करोड़ रुपये की राशि का आहरण नहीं किया जा सका । वर्ष 2011–12 में अनुशंसित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को राशि आवंटित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

आवास उपलब्ध कराना

पुन–3. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिले के तरियानी खण्ड के ग्राम–विश्वम्भरपुर में दिनांक 9 मई, 2007 को भयंकर आगलगी में 73 परिवारों का घर जल गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी, शिवहर द्वारा निरीक्षण के क्रम में सभी को इन्दिरा आवास, तत्काल अनाज एवं नगद सहायता उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 73 परिवारों में से 45 परिवार को इन्दिरा आवास मिल चुका है, परंतु शेष 28 परिवार अभीतक इन्दिरा आवास से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष बचे हुये परिवारों को कबतक इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि 73 परिवारों में से 45 परिवार को इन्दिरा आवास मिल गया है । शेष 28 परिवारों में से वर्ष 2009 के बी0पी0एल0 सर्वेक्षण में 7 परिवार बी0पी0एल0 के अंतर्गत पाये गये, जिनमें से 2 परिवार को इन्दिरा आवास दे दिया गया है तथा 5 परिवारों को इस वित्तीय वर्ष में इन्दिरा आवास देने हेतु चिन्हित किया गया है । शेष 21 परिवार ए0पी0एल0 के अंतर्गत है, जिन्हें नियम के अनुकूल इन्दिरा आवास देय नहीं है ।

(3) इसका उत्तर खण्ड (2) में ही सन्निहित है ।

पारित समिति का औचित्य

प्र–1. श्रीमती सुनीता सिंह—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिवहर जिला में वर्ष 2005 से लेकर 2010 तक राष्ट्रीय सम–विकास के 42 करोड़ की योजना बिना संचालन समिति के ही पारित करा लिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर अस्वीकारात्मक है । राष्ट्रीय सम–विकास योजना (पिछड़ा जिला पहल) के अंतर्गत शिवहर जिला का जिला योजना, योजना आयोग, भारत सरकार से स्वीकृत है तथा समय–समय पर संशोधित योजना प्रस्ताव पर यथा दिनांक 17 दिसम्बर, 2005, 27 फरवरी, 2006, 20 दिसम्बर, 2006, 22 जून, 2007, 25 जून, 2008, 26 फरवरी, 2009 एवं 21 सितम्बर, 2011 को सम्पन्न राज्यस्तरीय स्टीयरिंग कमिटी की स्वीकृति से कार्य कराया जा रहा है ।

नियुक्ति करना

प्र–2. श्री श्रवण कुमार—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह सही है कि योजना एवं विकास विभाग के अधीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति हेतु सारी प्रक्रियाएँ पूरी करने एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के सी0 डब्लू0 जे0 सी0 18109/2011 में न्याय निर्णय के पश्चात् भी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड (1) में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

(2) अस्वीकारात्मक है । सभी सफल योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न कार्यालय आदेश के तहत किया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 18109/2011 में दिनांक 3 फरवरी, 2012 को पारित न्यायादेश में याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज (dismiss) किया गया है ।

(3) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है ।

भवन का निर्माण

ट–9. श्री शिवेश कुमार—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के प्रखण्डों में गड़हनी एवं अगिऑव प्रखण्डों को छोड़कर ई० किसान भवन का निर्माण करवाया गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गड़हनी एवं अगिऑव प्रखंडों में भी ई० किसान भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है। भोजपुर जिला में कुल 14 प्रखंड में से 11 प्रखंड में ई० किसान भवन की स्थापना के लिये राशि विमुक्त की गयी है । भोजपुर जिला के शेष 3 प्रखंड जिनमें गड़हनी एवं अगिऑव भी शामिल है, में कृषि रोड मैप के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में ई० किसान भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा ।

(2) उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

जानकारी प्राप्त कराना

ट–4. श्री संजय कुमार—क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 6 जनवरी, 2012 को वैशाली जिला के राजापाकड़, देसरी एवं सहदेई बुजुर्ग प्रखंडों में वर्ष 2010–11 में वितरित किये गये कृषि उपकरणों एवं उनपर दी गई सब्सिडी के संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली से अनुरोध किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त जानकारी आजतक प्रश्नकर्ता को सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उपरोक्त जानकारी प्रश्नकर्ता को कबतक देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) जिला कृषि कार्यालय, वैशाली के पत्रांक 480, दिनांक 1 मार्च, 2012 द्वारा प्रश्नकर्ता को जानकारी दी गई है ।

(3) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर से स्थिति स्वतः स्पष्ट है ।

न्यायालय कार्य शुरू कराना

र–3. श्री विनय कुमार सिंह—क्या मंत्री, विधि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर अनुमंडल में अभीतक व्यवहार न्यायालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि न्यायिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थानीय नागरिकों को छपरा जाना पड़ता है, जिसकी दूरी 60 किलो मीटर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सोनपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय का कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । सोनपुर से छपरा की दूरी लगभग 52–54 किलो मीटर है ।

(3) राज्य में किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है । इस हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्राथमिकता सूची निर्धारित की गयी है जिसमें सोनपुर अनुमंडल में न्यायालय स्थापना का मामला 'क्रम सं० 25' पर है ।

क्रमानुसार आधारभूत संरचना पूर्ण किये जाने के पश्चात्, माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से ही सोनपुर अनुमंडल में न्यायालय स्थापना का निर्णय लिया जाना संभव होगा ।

पोखर का जीर्णोद्धार

टन–1. श्री रमेश ऋषिदेव—क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर प्रखण्ड के सिंहेश्वर शिव मंदिर का पोखर को एस०डी०ओ० एवं धार्मिक न्यास समिति, सिंहेश्वर, मधेपुरा द्वारा वर्ष 2008–09 में पोखर के जीर्णोद्धार हेतु तोड़वाया गया था लेकिन अभीतक जीर्णोद्धार नहीं किया गया है; यदि हाँ, तो पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध उक्त शिव मंदिर के पोखर को तोड़वाकर छोड़ देने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्थान स्थित शिव गंगा तालाब का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 2,80,54,000 (दो करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार रुपये मात्र) की योजना स्वीकृत कर पर्यटन विभागीय पत्रांक 3391, दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 द्वारा इतनी ही राशि योजना के कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध करा दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत टो–वॉल, सैण्ड स्टोन पथ–वे, घाट का निर्माण, घाट के ऊपर शेड का निर्माण, स्थल विकास आदि शामिल है ।

योजना का कार्यान्वयन

घ–2. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 19 जुलाई, 2012 के अंक में छपी खबर "अधर में लटकी योजना" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना के 643 करोड़ रुपये 15 माह से सरकारी खजाने में जमा है, परन्तु विकास का कार्य नहीं हो रहा है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना को कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 643 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है । इसके विरुद्ध स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के 57 कार्य प्रमण्डलों के कार्यपालक अभियंताओं को विभिन्न चरणों में विमुक्त की जा चुकी है । कार्य प्रमण्डलों अबतक इस योजना अंतर्गत कुल 6,233 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी लागत राशि 36719.69 लाख रुपये है । 4,645 योजनाओं की निविदा आमंत्रित की गयी, 1,019 योजनाओं का एकरारनामा निष्पादित की गयी है । 77 योजनाएँ पूर्ण की गयी है तथा 431.99 लाख रुपये व्यय किये गये ।

(2) मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजनाओं के द्रुत गति से कार्यान्वयन से कार्रवाई की गयी है तथा योजनाएँ प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

सहायता देना

पुन–1. श्रीमती गुलजार देवी—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखण्ड के गढ़गाँव पंचायत में स्थित ग्राम–गढ़गाँव में 2007 में स्व० पुनीता कुमारी, पिता उपेन्द्र यादव की बाढ़ में डूबने से मृत्यु हो चुकी है, परन्तु आश्रित को अद्यतन आपदा प्रबंधन के नियमों के आलोक में सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(2) यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक नियमानुसार उक्त मृतक के आश्रित को सहायता देना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मृतक का शव बरामद नहीं होने

के कारण तत्समय लागू नियमानुसार मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान नहीं दिया जा सका ।

(2) उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

मुख्य मार्ग से जोड़ना

च–1. श्री नौशाद आलम—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत ग्राम पंचायत दत्तेगाँव एवं ग्राम पंचायत तालपौआ का आधा भाग तीन ओर नदियों से एवं एक ओर नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बरसात आते ही नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है एवं वहाँ के लोगों का सम्पर्क शेष बिहार से कट जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पंचायतों को सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत मुख्य मार्ग से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) स्वीकारात्मक है ।

(3) दत्तेगाँव से तालपौआ के बीच मेची नदी अवस्थित है, जिसकी लम्बाई लगभग 550 मी० है । इस नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण की आवश्यकता है । जिला स्तर से इस उच्चस्तरीय पुल का निर्माण संभव प्रतीत नहीं होता है । दोनों गाँवों के बीच लगभग 1.5 कि०मी० पथ है जिसके निर्माण कार्य हेतु 110.00 लाख रु० की आवश्यकता होगी । जबतक इस पुल का निर्माण नहीं होगा तबतक इस पथ के निर्माण के पश्चात् कोई उपयोगिता नहीं रहेगी ।

कार्रवाई करना

पुन–6. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 11 जनवरी, 2013 के अंक में छपी खबर के आलोक में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य के 14 जिलों, जिनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीवान, सहरसा, गोपालगंज आदि शामिल हैं, के द्वारा गैर–प्राकृतिक आपदा की कुल रु० 95.575 लाख (पनचानवे लाख सत्तावन हजार पाँच सौ) रु० की राशि का व्यय प्रतिवेदन विभाग को अप्राप्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त 14 जिलों द्वारा गैर–प्राकृतिक आपदा मद की राशि का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जिलों के नागरिकों को गैर–आपदा मद से लाभ नहीं प्राप्त हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गैर–प्राकृतिक आपदा मद की राशि खर्च करने में लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) वस्तुस्थिति यह है कि सी०टी०एम०आई०एस० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 10 जनवरी, 2013 तक राज्य के 14 जिलों के द्वारा गैर–प्राकृतिक आपदा हेतु आवंटित कुल राशि रु० 95.575 लाख के विरुद्ध रु० 63.50 लाख का व्यय किया गया था । पटना एवं पूर्वी चम्पारण जिलों को क्रमशः रु० 21.217 लाख एवं रु० 1.00 लाख गाह करवरी में आवंटित किये गये । इन सभी जिलों का व्यय प्रतिवेदन सी०टी०एम०आई०एस० के माध्यम से विभाग को प्राप्त है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । सी०टी०एम०आई०एस० से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 14 जिलों को कुल आवंटित राशि रु० 95.575 लाख के विरुद्ध उक्त जिलों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2013 तक रु० 93.58 लाख का व्यय किया गया तथा शेष रु० 2.00 लाख जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा कोषागार से जमा कर दिया गया । पटना एवं पूर्वी चम्पारण जिलों द्वारा कुल आवंटित राशि रु० 22.217 लाख का व्यय कर दिया गया है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

रजिस्ट्रेशन कराना

द–40. डॉ0 अच्युतानन्द—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार होम्योपैथिक बोर्ड, पटना में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार का पद पिछले 1 वर्ष से रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णकालिक रजिस्ट्रार के नहीं रहने के कारण 1 वर्षों से लगभग 1 हजार उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है जिसके कारण वे कहीं भी नौकरी या पेशा करने से वंचित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त बोर्ड में पूर्णकालिक रजिस्ट्रार की प्रतिनियुक्ति कर उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) अस्वीकारात्मक है ।

(2) विभागीय अधिसूचना संख्या 288 (देoचिo), दिनांक 20 मार्च, 2013 द्वारा डॉ0 प्रभात कुमार सिंह, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, मसरीचक, दरियापुर, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, पटना के निबंधक के दायित्वों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । डॉ0 प्रभात कुमार सिंह, निबंधक के पद पर योगदान कर उनके द्वारा उत्तीर्ण छात्रों का रजिस्ट्रेशन कार्य किया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

योजना का कार्यान्वयन

ग–2. डॉ0 अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना में वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में अबतक कुल 24 योजनाओं की स्वीकृति मिली है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अंचलाधिकारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन नहीं देने के कारण योजना बाधित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त योजना को समय पर कार्यान्वयन हेतु कौन–सा कदम उठाना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) सहरसा जिला में मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2013 तक कुल 106 योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है ।

(2) इस संबंध में कहना है कि जिला चयन समिति से चयनित सभी योजनाओं के सरकारी भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, सहरसा को उपलब्ध कराने हेतु सभी अंचलाधिकारी, सहरसा जिला को निदेश दिया गया है । अंचलाधिकारियों द्वारा भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन प्राप्त होते ही ससमय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(3) सभी अंचलाधिकारियों को भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है एवं कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, सहरसा को भूमि उपलब्ध योजनाओं का प्राक्कलन अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु भी निदेश दिया गया है ।

नामांकन कराना

द–11. श्री रामदेव महतो—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के पी0जी0 कोर्स में राज्य से एम0बी0बी0एस0 करने वाले डॉक्टरों का एडमिशन लिया जाता है, परन्तु बिहार राज्य के निवासी, जो दूसरे राज्य से एम0बी0बी0एस0 करके आते हैं, को पी0जी0 में एडमिशन से वंचित कर दिया जाता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री—इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि रिट पिटीशन प्रदीप जैन बनाम् भारत सरकार एवं अन्य में वर्ष 2004 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सभी राज्यों के मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों के पी0जी0 कोर्स में नामांकन हेतु Institutional Preference लागू करने का आदेश दिया गया था, जिसके

अनुसार किसी भी राज्य का निवासी होते हुये भी 50 प्रतिशत स्टेट कोटा के अन्तर्गत नामांकन हेतु योग्य पात्र होने के लिये जिस राज्य के मेडिकल कॉलेज से एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण किया हो, उसी राज्य के मेडिकल कोर्स के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिये प्राथमिकता दी जाये। 50 प्रतिशत सीट केन्द्रीय कोटा के अन्तर्गत आता है, जिसके लिये केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा नामांकन की प्रक्रिया संचालित की जाती है । जबतक उक्त पारित न्यायादेश में संशोधन नहीं होता है, तबतक Institutional Preference में बदलाव करना संभव नहीं है ।

कार्रवाई करना.

च–8. **श्री राजेश्वर राज**—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के विक्रमगंज प्रखण्डान्तर्गत ग्राम दुर्गाडीह में भगवती साह के घर से चौराहा स्थान होते हुये पुनाई मिश्र के घर तक ईंट सोलिंग एवं विक्रमगंज वार्ड नं० 16 उत्तरी आस्कामिनी नगर श्री जनार्दन सिंह के घर से सोनी दूबे के घर होते हुये राजू मास्टर के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति के पश्चात् संवेदक द्वारा प्राक्कलन के विरुद्ध घटिया सामग्रियों का उपयोग कर कार्य कराया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत योजना ग्राम–दुर्गाडीह में भगवती साह के घर से चौराहा स्थान होते हुये पुनाई मिश्र के घर तक ईंट सोलिंग के प्राक्कलन में 470' सोलिंग एवं 155' नाली का निर्माण कराना है जिसमें 445' में सोलिंग एवं 155' में नाली का कार्य कराया गया है, सोलिंग में B/E/Soling किया गया है जिसके नीचे बालू देकर तथा सहत पर बालू डालना था जिसे प्राक्कलन के अनुरूप किया गया है। निर्माण कार्य में लगाये गये सामग्रियों का जाँचफल ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन सासाराम अवस्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया है, जो संतोषप्रद है ।

वार्ड नं० 16 उत्तरी आस्कामिनी नगर, विक्रमगंज नगर श्री जनार्दन सिंह के घर से सोनी दूबे के घर होते हुये राजू मास्टर के घर तक पी०सी०सी० निर्माण करना है जिसमें प्राक्कलन में पी०सी०सी० में 1:2:4 के अनुपात में 300' लम्बाई में 8' चौड़ाई एवं 6" मोटाई में करना था। स्थल पर 300'X8 से 9 चौड़ाई में पी०सी०सी० एवं 6" मोटाई में की गयी है, जो प्राक्कलन के अनुरूप है ।

निर्माण कार्य में लगाये गये सामग्रियों का भी ससमय जाँचफल ग्रामीण कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन सासाराम अवस्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया है, जो संतोषप्रद है ।

दोषियो पर कार्रवाई

द–53. **श्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार**—क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के द्रव्यगुण विभाग में प्रवाचक का एक पद सृजित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त एक सृजित पद के विरुद्ध दिनांक 6 जून, 2007 से 30 मई, 2008 तक अवैध तरीके से दो प्रवाचकों के वेतनादि का भुगतान किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अवैध वेतनादि के भुगतान की वसूली करते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक है । प्रवाचक का एक पद सृजित है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक 463 (दे०चि०), दिनांक 6 जून, 2007 के द्वारा डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह को प्रवाचक के पद पर द्रव्यगुण विभाग में प्रोन्नति दिया गया था । उक्त पद पर केवल डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह ही कार्यरत है तथा उन्हें ही प्रवाचक पद का वेतन दिनांक 6 जून, 2007 से अबतक दिया जा रहा है अन्य किसी को नहीं ।

(3) अस्वीकारात्मक है ।

सहायता राशि प्रदान करना

पुन–5 श्रीमती उषा सिन्हा—क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिले के हिलसा प्रखंड के ग्राम–इन्दौत में दिनांक 27 जुलाई, 2012 को खेत में काम करते हुये बिन्देश्वर पंडित (30 वर्ष) पिता छोटे पंडित की वज्रपात (उनका गिरने से) मृत्यु हो गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है और दैनिक मजदूरी से गुजर–बसर होता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मृतक की विधवा रिकू देवी को आपदा राहत कोष से मिलने वाली डेढ़ लाख की सहायता राशि अभीतक नहीं प्राप्त हुआ है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिन्देश्वर पंडित के परिवार को सहायता राशि प्रदान करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक।

(3) मृतक की विधवा रिकू देवी को आपदा राहत कोष से मिलने वाली डेढ़ लाख की सहायता राशि का भुगतान चैक सं0 2663, दिनांक 9 मार्च, 2013 द्वारा कर दिया गया है ।

(4) सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है ।

रिक्त पदों पर प्रोन्नति देना

प्र–10. श्री विक्रम कुँवर—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि योजना एवं विकास विभाग में बिहार योजना सेवा के ऊपर निदेशक के छः पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों का सेवा अवधी दो वर्षों से अधिक की हो चुकी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संयुक्त निदेशकों को अपर निदेशक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(3) प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

दोषियों पर कार्रवाई

प्र–1. श्री सुरेश कुमार शर्मा—क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विधायकों द्वारा अनुशंसित योजना के कार्यों को निश्चित समय–सीमा के अन्दर तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति देकर कार्य पूर्ण कराने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर विधान–सभा क्षेत्र में विधायक द्वारा अनुशंसित वर्ष 2011–12 की सभी योजना कार्य–पूर्ण होना तो दूर अभीतक कार्य प्रारम्भ भी नहीं हो पाया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निश्चित समय–सीमा के अन्दर कार्य को पूर्ण नहीं कराने वाले दोषी अभियंताओं तथा पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) माननीय स0वि0स0 द्वारा अनुशंसित एवं चयनित कुल 23 योजनाओं में से 22 योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त निविदा आमंत्रित की जा चुकी है । जिनमें 21 योजनाओं की निविदा निष्पादित कर एकरारनामा किया गया है । जिनका कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

(3) खण्ड (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

बि0स0मु0(एल0ए0), 83–डी0टी0पी0—400

04/03/2013